न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 18/23 सन् 2023

GCMS NO-2023/ 121

बउनवानीः—सुन्दरबाई पुत्री नानगा पत्नि घासी राम बैरवा निवासी शिवाड तह0चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा
2. नवरत्न पुत्र भूरा बैरवा निवासी,29 राजबिहार कॉलोनी रामपुरा रोड़ सांगानेर जयपुर
3. अशोक पुत्र भूरा बैरवा नि.43/8 फर्स्ट फ्लोर कृष्णा अपार्टमेंट सैक्टर 28 प्रतापनगर जयपुर
4. आशा पुत्री भूरा पत्नि हीरालाल बैरवा निवासी सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा
5. संतोष पुत्री भूरा पत्नि सरवन लाल बैरवा निवासी चौथ का बरवाडा
6. रामप्यारी पुत्री नानगा पत्नि केसरदास बैरवा निवासी शिवाड हाल नि0 ईसरदा
7. ओमप्रकाश पुत्र पूरण बैरवा निवासी डी—99, अनीता कॉलोनी रामपुरा रोड़ सांगानेर जयपुर
8. मिनाक्षी पुत्री पूरण बैरवा निवासी डी—99, अनीता कॉलोनी रामपुरा रोड़ सांगानेर जयपुर
9. रामकेश पुत्र पूरण बैरवा निवासी डी—99, अनीता कॉलोनी रामपुरा रोड़ सांगानेर जयपुर

(अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1361 दिनांक 15.5.1989 वाके ग्राम शिवाड तह0 चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. राजेन्द्र यादव — वकील अपीलान्टगण
2. श्री श्याम मोहन शर्मा — वकील रेस्पो0

—: निर्णय :— दिनांक 18.12.2025

अपील अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1361 दिनांक 15.5.1989 वाके ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट ग्राम शिवाड की मूल निवासी है एवं वर्तमान में ग्राम टोडरा फलोदी तहसील सवाईमाधोपुर मे निवास कर रही है। नानगा पुत्र चन्द्रा बैरवा की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि वाके ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा में मुताबिक जमाबन्दी संख्या 2030—33 के खाता संख्या 379 में साबिक ख0न0 3365 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा बारानी—1 ख0न0 3368 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित थी तथा खाता संख्या 381 मे साबिक ख0न0 977/1/3 रकबा 9 बिस्वा नहरी—1 मे हिस्सा 1/2 भाग तथा खाता संख्या 382 मे साबिक ख0न0 977/8 रकबा 10 बिस्वा नहरी ए भूमि मे हिस्सा 1/2 भाग स्थित है तथा खाता संख्या 956 मे साबिक ख0न0 827/1 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित थी अपीलान्ट के पिता का सजरा खानदान कमश अपीलान्ट के पिता नानगा पुत्र चन्द्रा बैरवा के कमश एक पुत्र भूरा (फोत) तीन पुत्रीया कमश सुन्दर बाई,रामप्यारी एवं भूली देवी (फोत), भूरा के वारिसान कमश भूरा की पत्नि नारायणी जिसने भूरा उर्फ कल्याण से पुर्नविवाह किया था जिनके कमशः तीन पुत्र नवरत्न,अशोक,संतोष एवं दो पुत्री आशा एवं पप्पी (फोत) पप्पी के दो पुत्र कमश ओमप्रकाश, राकेश एवं मीनाक्षी है। यह तर्क भी दिया अपीलान्ट के सगे भाई भूरा पुत्र नानगा की मृत्यु करीब 65—66 वर्ष पूर्व ग्राम शिवाड मे लाऔलाद हो चुकी थी एवं भूरा की पत्नि नारायणी थी। भूरा बैरवा की मृत्यु के बाद भूरा की पत्नि नारायणी

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

बैरवा ने ग्राम महापुरा तहसील चौथ का बरवाडा निवासी कल्याण बैरवा के साथ बतौर पत्नि रहने लग गयी एवं कल्याण अपीलार्थी के पिता नानगा बैरवा के मकान मे ही भूरा उर्फ कल्याण के नाम से रहने लग गया था। अपीलान्ट के पिता नानगा की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामा0 संख्या 1361 दिनांक 15.5.1989 को राजस्व अभियान कैम्प शिवाड मे रेस्पो0 संख्या 1 नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा नानगा के समस्त वारिसान की बिना जॉच किये ही अपीलान्ट के सगे भाई भूरा एवं नानगा की पत्नि नारायणी एवं अपीलान्ट एवं रामप्यारी के नाम दर्ज नही कर अन्य व्यक्तियो जो मृतक भूरा की पत्नि नारायणी के साथ रह रहा था उसके नाम से भर गया है जो गलत है। क्योकि उक्त नामा0 नानगा की पुत्रवधु नारायणी एवं उसकी पुत्रिया कमश सुन्दर बाई एवं रामप्यारी के नाम भरा जाना चाहिए। उक्त आदेश जैर अपील का फायदा उठाकर कल्याण उर्फ भूरा उक्त भूमि का बैचान व हकत्याग किये जा रहे है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 7.8.2023 को रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 3 से पिता की छोडी गयी कृषि भूमि पर गलत दर्ज हुए नामा0 को निरस्त करवाकर अपीलार्थीया के नाम खातेदारी मे दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया तथा रेस्पो0 साफ मना करने पर यह अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया ।

वकील रेस्पो द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा लगभग 34 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नही बताया है इसलिए अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। भूरा पुत्र नानगा की मृत्यु के उपरान्त भूरा की पत्नि नारायणी के नाम ही विरासत का नामा0 खोला गया है जिसमे किसी प्रकार विधिक त्रुटि नही है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा नानगा की पुत्री होने से संबंधित कोई दस्तावेजत पेश नही किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1361 दिनांक 15.5.1989 अपीलान्ट के पिता नानगा पुत्र चन्द्रा के फोत होने पर उसकी विरासत का दर्ज फैसल होना बताया गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है जिसके आधार पर अपीलान्ट को मृतक नानगा की पुत्री माना जा सके। इसके अतिरिक्त लगभग 34 वर्ष बाद अपील पेश करने का कोई का विधिसम्मत कारण भी नही बताया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा नानगा की पुत्री होने बाबत किये गये कथन के समर्थन मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है इसलिए नानगा की विरासत का नामा0 उसके नाम खोला जाना न्याय संगत नही है। ऐसी स्थिति में विधिसम्मत आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर अपने अधिकार तय करवाने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक .18.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner